कलकत्ता के मैसर्स बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड को सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है तथा क्या सरकार इस कार्य को अन्य शहरों में गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अन्य स्थानों पर ऐसी व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने उस एजेंसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है जो बम्बई शहर में प्राकृतिक गैस के वितरण का काम करेगी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस बेची जाती है, तथा विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं के लिए इसका वितरण राज्य सरकार की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसियों का आवंटन

122. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से प्राप्त आवेदन सरकार के पास लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) एल पी जी वितरणशिपों के लिए उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम, हां विज्ञापन देने के बाद एक वर्ष से अधिक अवधि तक आवेदन पत्र बकाया पड़े हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिये ।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन स्थानों के लिए चयन तेल चयन बोर्ड (उत्तर) द्वारा किया जा रहा है ।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान
1.	नजीबाबाद
2.	शेरकोट
3.	अयोध्या
4.	संडीला
5.	मुबारकपुर
6.	जहांगीराबाद
7.	विशालपुर
8.	नेहतौर
9.	करवी/चित्रकूट धाम
10.	अतरौली
11.	बिशवान
12.	पदरौना
13.	लहरपुर
14.	शाहाबाद
15.	मंगलूर
16.	खेकड़ा
17.	बिंदकी
18.	कुदौली
19.	पूरनपुर
20.	देबई
21.	रेनूकूट
22.	गौरा बैरहाज
23.	सिकन्दरा राव
24.	शिकारपुर
25.	बिलासपुर (रामपुर)
26.	गुलहोथी
27.	कोसीकलां

क्रम संख्या	स्थान
28.	बबीना
29.	कानपुर (2 वितरणशिप)
30.	आगरा (2 वितरणशिप)
31.	बदायूं
32.	ककराला
33.	टांडा
34.	जबलपुर
35.	अकबरपुर
36.	औराई
37.	शामली
38.	बागपत
39.	वाराणसी (2 वितरणशिप)
40.	रुड़की
41.	मेरठ
42.	नौएडा
43.	राय बरेली
44.	चंदौसी
45.	मुरादाबाद
46.	बरेली
47.	कालपी

विकलांगों तथा विधवाओं को गैस एजेंसियों का आवंटन

123. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश व बिहार में गैस एजेंसियों के आवंटनार्थ विकलांगों तथा विधवाओं से क्रमशः इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उक्त आवेदनों के आधार पर ऊपर लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी गैस एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं तथा आवेदनों को रद्द किया गया है; और

(ग) इन आवेदनों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) डीलरशिप चयन दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग तथा रक्षा श्रेणी, प्रत्येक के लिए 7.5 प्रतिशत की व्यवस्था है । शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथसाथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

"शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति/ ड्यूटी पर विकलांग होने वाले सरकारी कार्मिक (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर)/ सरकारी कार्मिक जो ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं उनकी पत्नियां (रक्षा व्यक्तियों को छोड़कर) "

विधवाओं के संबंध में उपर्युक्त विवरण के अधीन पात्र महिलाओं को छोड़कर, रक्षा श्रेणी में निम्नलिखित भी पात्र हैं :-

"रक्षा कार्मिकों जिनके पति/अभिभावक युद्ध या शान्ति के दौरान सेना की ड्यूटी में मारे गए हों । उनकी विधवाएं और मातृहीन आश्रित ।"

उपर्युक्त से पता चलता है कि केवल "शारीरिक रूप से विकलांग" व्यक्तियों या केवल विधवाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और विधवाएं जो उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत पात्र है वे केवल उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वतंत्रता सेनानी तथा ओपन श्रेणी में एल पी जी वितरणशिपों के लिए आवेदन दे सकते है । इस बात को देखते हुए कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. के द्वारा विज्ञापित विभिन्न श्रेणीयों में एल पी जी वितरणशिपों की संख्या बहुत अधिक